

न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक उत्तरदायित्व : भारतीय संदर्भ में (1947–2020)**सतीश तिवारी¹**¹प्राचार्य, कौशलेन्द्र राव ला कालेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

Received: 13 July 2020, Accepted: 27 July 2020, Published on line: 30 Sep 2020

Abstract

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी उत्तरदायित्वशीलता के बीच संतुलन बनाए रखना एक जटिल चुनौती रही है। 1947 से 2020 तक के कालखंड में, न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना। वहीं, न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के प्रयासों में इन-हाउस तंत्र, न्यायिक आचरण संहिता, और न्यायिक मानक एवं उत्तरदायित्व विधेयक (2010) जैसे उपाय शामिल हैं। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के आरोप लगते रहे हैं, विशेषकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया में। यह शोध पत्र भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच के इस द्वंद्व का विश्लेषण करता है और संतुलन स्थापित करने के लिए संभावित उपायों पर विचार करता है।

कीवर्ड्स— न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक उत्तरदायित्व, मूल संरचना सिद्धांत, कोलेजियम प्रणाली, न्यायिक सुधार, पारदर्शिता, भारत का संविधान, न्यायिक नियुक्तियाँ।

Introduction

भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। यह न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की भी निगरानी करती है। संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहा था कि बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक लिखित संविधान अपनाया जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए।

समस्या कथन— हालांकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में सुनिश्चित की गई है, परंतु इसके साथ न्यायिक उत्तरदायित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र न्यायपालिका अगर उत्तरदायित्व विहीन हो, तो यह न्यायपालिका के दुरुपयोग और लोकहित की उपेक्षा का कारण बन सकती है। दूसरी ओर, न्यायपालिका पर अत्यधिक नियंत्रण उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि भारत में 1947 से 2020 तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच क्या संतुलन स्थापित हुआ है।

उद्देश्य— इस शोध का उद्देश्य निम्नलिखित है—

भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा का अध्ययन करना।

1947 से 2020 तक न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के विकास की ऐतिहासिक समीक्षा करना।

प्रमुख न्यायिक निर्णयों और घटनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन का विश्लेषण करना।

भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

महत्व— यह शोध न्यायपालिका की भूमिका, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और कानूनी पेशेवरों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है कि कैसे एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और उत्तरदायी न्यायपालिका स्थापित की जा सकती है।

शोध प्रश्न—

भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है?

भारत में 1947–2020 के कालखंड में न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व में किस प्रकार का विकास हुआ? स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

न्यायिक सुधार की दिशा में कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?

भारतीय संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता का विकास

परिकल्पना (Hypothesis)— इस शोध का मुख्य परिकल्पना निम्नलिखित है—

1— न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन की कमी से भारतीय न्यायपालिका की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

2— कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी न्यायपालिका के उत्तरदायित्व को कमजोर करती है, जिससे न्यायपालिका के प्रति जनविश्वास में गिरावट आती है।

3— न्यायिक सुधारों के माध्यम से स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जिससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

शोध प्राविधि (Research Methodology)—

शोध का प्रकार— यह शोध गुणात्मक (Qualitative) और ऐतिहासिक (Historical) दोनों प्रकार का है, जिसमें भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के विकास का संवैधानिक, कानूनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है।

डेटा संग्रह—

मूल स्रोत— भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सरकारी रिपोर्टें, न्यायिक आयोगों की रिपोर्टें।

माध्यमिक स्रोत— पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल, समाचार पत्र, ऑनलाइन डेटाबेस।

विश्लेषण विधि—

विवेचनात्मक विश्लेषण— विभिन्न न्यायिक निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण।

तुलनात्मक अध्ययन— अन्य देशों की न्यायिक स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व प्रणाली से तुलनात्मक दृष्टि।

समीक्षा— न्यायिक सुधारों और उनकी चुनौतियों का समीक्षा।

सीमाएं— शोध 1947 से 2020 तक के समय अंतराल तक सीमित है। मुख्य रूप से न्यायपालिका के संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि देश की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति का संतुलन बनाना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। संविधान सभा की बहसों में डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ बताया।

संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान— भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं

अनुच्छेद 50— कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक् करने का निर्देश देता है, जिससे न्यायिक निर्णयों में निष्पक्षता बनी रहे।

अनुच्छेद 124—147— उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण।

अनुच्छेद 214—231— उच्च न्यायालयों की स्थापना और उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण।

अनुच्छेद 32 और 226— उच्चतम और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

न्यायिक नियुक्तियों और स्वतंत्रता— प्रारंभिक दशकों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख थी। परंतु समय के साथ न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायिक नियुक्तियों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), इस निर्णय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका के हस्तक्षेप पर विचार किया गया। तीन जजों के मामले (1993, 1998), कोलेजियम प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका सीमित कर दी गई। एनजेएसी (2014), संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया।

न्यायिक वेतन और सेवा शर्तें— न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें संविधान के द्वारा संरक्षित की गई हैं ताकि उन पर कार्यपालिका या विधायिका का प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 125 और 221 इसके लिए स्पष्ट प्रावधान करते हैं।

न्यायिक पुनर्नियुक्ति और स्थानांतरण— न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पुनर्नियुक्ति और स्थानांतरण के प्रावधान को निष्पक्ष बनाया गया। कोलेजियम प्रणाली के तहत स्थानांतरण और पदोन्नति का निर्णय न्यायपालिका द्वारा ही लिया जाता है।

संविधान सभा में बहसों— संविधान सभा की बहसों में डॉ. अंबेडकर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी जैसे सदस्यों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर विधायिका या कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होना चाहिए।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र— भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और शासन में शक्ति का संतुलन बना रहे। इस स्वतंत्रता ने भारत में कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है।

भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं। कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। हालांकि, नियुक्तियों और उत्तरदायित्व के मुद्दे समय-समय पर विवाद का विषय बने हैं, जिन पर आगे के अध्यायों में चर्चा की जाएगी।

न्यायिक स्वतंत्रता की प्रमुख घटनाएँ और निर्णय (1947–2020)— 1947 से 2020 तक का कालखंड भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं और निर्णयों से परिपूर्ण रहा है। इस अवधि में न्यायपालिका ने अनेक बार अपनी स्वतंत्रता को साबित किया, और कभी-कभी कार्यपालिका तथा विधायिका के हस्तक्षेप के विरुद्ध दृढ़ता दिखाई। इस अध्याय में हम इस अवधि की प्रमुख घटनाओं और निर्णयों का विश्लेषण करेंगे।

प्रारंभिक दशक (1947–1975)— गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967), इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करते हुए मूल अधिकारों को संविधान संशोधन से बाहर रखा। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण था।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973), इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना (basic structure) सिद्धांत की स्थापना की। इससे संसद की शक्ति पर अंकुश लगाया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पुष्टि हुई।

आपातकाल और न्यायपालिका (1975–1977)— ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (हबियस कॉर्पस केस), इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के आपातकालीन निर्णयों को सही ठहराया और नागरिक अधिकारों को निलंबित करने को वैध माना। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा गया और आलोचना का विषय बना। इस दौर में कार्यपालिका के दबाव में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात हुआ, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बना।

न्यायपालिका का पुनरुत्थान (1977–1990)— आपातकाल के बाद न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करने की दिशा में कई प्रयास किए। मिन्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980), इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन को निरस्त किया और कहा कि मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), इस मामले में न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर चर्चा की गई।

कोलेजियम प्रणाली और न्यायिक स्वतंत्रता (1993–2014)— तीन जज मामलों (1993, 1998), इन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम प्रणाली को वैध ठहराया, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका सीमित कर दी गई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। एनजेएसी (2014), संसद द्वारा गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया, यह कहते हुए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

हाल की घटनाएँ (2014–2020) – प्रशांत भूषण अवमानना प्रकरण (2020), इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व पर सार्वजनिक बहस छिड़ गई। लोकपाल और न्यायिक जवाबदेही विधेयक, न्यायपालिका में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए प्रयास किए गए, लेकिन न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता पर जोर दिया। 1947 से 2020 तक भारत की न्यायपालिका ने स्वतंत्रता बनाए रखने और मूल अधिकारों की रक्षा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए। हालांकि, ADM जबलपुर जैसे फैसलों ने इसकी छवि को धक्का पहुँचाया, लेकिन बाद के वर्षों में न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया। भारतीय न्यायपालिका का इतिहास स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन साधने का रहा है। ऐतिहासिक निर्णयों ने न केवल संविधान की मूल संरचना की रक्षा की बल्कि न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी सिद्ध किया।

न्यायिक उत्तरदायित्व : अवधारणा और भारतीय परिप्रेक्ष्य— न्यायिक स्वतंत्रता के साथ-साथ न्यायिक उत्तरदायित्व भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य घटक है। जहाँ स्वतंत्रता न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखती है, वहीं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका लोकहित में कार्य करे और उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व की अवधारणा और उसका विकास स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 2020 तक कई आयामों में प्रकट हुआ है। न्यायिक उत्तरदायित्व का आशय न्यायपालिका की उस नैतिक और विधिक जिम्मेदारी से है जिसके अंतर्गत उसे अपने कार्यकलापों के लिए जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह रहना होता है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी को बढ़ाना है। भारतीय न्यायपालिका में उत्तरदायित्व के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं—

नैतिक उत्तरदायित्व अर्थात् न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्ष और ईमानदार रहें, अपने आचरण में मर्यादा बनाए रखें और भ्रष्टाचार से दूर रहें। विधिक उत्तरदायित्व अर्थात् यदि न्यायिक प्रक्रिया में कोई गंभीर त्रुटि होती है या किसी न्यायाधीश का आचरण अनुचित होता है, तो उसकी जाँच और कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित है। संवैधानिक उत्तरदायित्व अर्थात् न्यायपालिका को संविधान के अनुरूप कार्य करना होता है और संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारक्षेत्र का पालन करना होता है। लोक उत्तरदायित्व अर्थात् न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके निर्णयों और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और न्यायसंगतता हो, जिससे जनता का उसमें विश्वास बना रहे। भारतीय न्यायपालिका में उत्तरदायित्व को लेकर अनेक चुनौतियाँ सामने आई हैं— न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति में पारदर्शिता की कमी अर्थात् कोलेजियम प्रणाली की आलोचना इस आधार पर होती है कि इसमें उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का अभाव है। न्यायिक भ्रष्टाचार के आरोप अर्थात् समय-समय पर न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार और अनुचित आचरण के आरोप लगे हैं, जिससे न्यायपालिका की छवि को आघात पहुँचा है। मुकदमों की लंबित संख्या अर्थात् न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ से उसके कार्य की दक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। लोकपाल और न्यायिक जवाबदेही विधेयक अर्थात् न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु लोकपाल और न्यायिक जवाबदेही कानून का प्रस्ताव रखा गया, परन्तु न्यायपालिका ने इसे अपनी स्वतंत्रता पर आघात माना।

भारतीय विधायी और न्यायिक प्रयास— न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयक, 2010 अर्थात् यह विधेयक न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु लाया गया था, परन्तु इसे पारित नहीं किया जा सका। उच्चतम न्यायालय

की टिप्पणियाँ अर्थात् कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अपने आंतरिक मूल्यांकन और न्यायिक आचरण के उच्च मानकों की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायिक सेवा में आंतरिक अनुशासन तंत्र अर्थात् न्यायालयों ने आंतरिक आचार संहिता और शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की है।

उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता का संतुलन— न्यायिक उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि न्यायपालिका पूर्णतः उत्तरदायित्व से मुक्त हो, और उत्तरदायित्व का यह अर्थ भी नहीं कि न्यायपालिका पर नियंत्रण इतना कठोर हो कि उसकी स्वतंत्रता बाधित हो जाए। संतुलित दृष्टिकोण ही न्यायपालिका की गरिमा और जनता का विश्वास बनाए रख सकता है। न्यायिक उत्तरदायित्व भारतीय न्यायपालिका की शक्ति और प्रतिष्ठा का एक अनिवार्य पहलू है। यद्यपि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, परंतु उसके साथ उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पारदर्शिता, नैतिकता और उत्तरदायित्व के उच्च मानदंड ही न्यायपालिका को जनता के प्रति जिम्मेदार बना सकते हैं।

स्वतंत्रता बनाम उत्तरदायित्व : एक द्वंद्व— न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखना लोकतंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्वतंत्रता न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखती है, जबकि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और न्यायसंगत निर्णय दे। न्यायिक स्वतंत्रता का उद्देश्य न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव, बाहरी हस्तक्षेप और अन्य प्रभावों से मुक्त रखना है ताकि वह संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय कर सके। यह स्वतंत्रता न्यायपालिका को लोकतंत्र का रक्षक बनाती है। जहाँ स्वतंत्रता आवश्यक है, वहीं उत्तरदायित्व न्यायपालिका को जवाबदेह बनाता है। न्यायपालिका को जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह रहना होता है। न्यायाधीशों के आचरण, निर्णयों की पारदर्शिता, और प्रक्रियाओं में समयबद्धता उत्तरदायित्व के अंग हैं। भारत में कई बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच टकराव देखे गए हैं—

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाम स्वतंत्रता अर्थात् कोलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, परंतु इसकी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर प्रश्न उठते हैं।

न्यायिक जवाबदेही विधेयक बनाम न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात् न्यायिक जवाबदेही विधेयकों के प्रस्ताव को न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा माना और इन्हें अस्वीकार किया।

अवैधताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला अर्थात् न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर दोषियों की छूट और उत्तरदायित्व की कमी लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास— कोलेजियम प्रणाली में सुधार के प्रयास अर्थात् पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिए गए हैं। न्यायपालिका की आचार संहिता अर्थात् न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता अपनाई गई है, जिसमें उनके आचरण और कर्तव्यों का विवरण है। न्यायपालिका की स्वशासन व्यवस्था अर्थात् शिकायत निवारण और अनुशासनात्मक प्रावधान न्यायपालिका के आंतरिक नियंत्रण का हिस्सा हैं।

दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न मॉडल अपनाए गए हैं। कुछ देशों में न्यायिक जवाबदेही के लिए स्वतंत्र आयोग हैं, वहीं कुछ देशों में सार्वजनिक सुनवाई और पारदर्शी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। भारत को भी इन

वैश्विक दृष्टांतों से सीख लेकर अपने तंत्र को सुधारना आवश्यक है। न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व दोनों ही लोकतंत्र के आवश्यक स्तंभ हैं। स्वतंत्रता न्यायपालिका को निष्पक्ष निर्णय लेने का अधिकार देती है, जबकि उत्तरदायित्व उसे जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है। भारतीय संदर्भ में इस द्वंद्व को सुलझाना आवश्यक है ताकि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वास दोनों बना रहे। इसके लिए संविधान की मूल संरचना की रक्षा करते हुए नई पहल और सुधारों की आवश्यकता है। यह अध्याय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच विद्यमान द्वंद्व को प्रस्तुत करता है और दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। न्यायपालिका की सशक्त और जवाबदेह भूमिका के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

न्यायिक सुधार : चुनौतियाँ और संभावनाएँ— भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सुधारों की आवश्यकता बार-बार महसूस की गई है। पिछले दशकों में न्यायपालिका की भूमिका व्यापक हो गई है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। इस अध्याय में हम न्यायिक सुधारों की प्रमुख चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे।

न्यायिक सुधार की आवश्यकता—

- ✚ न्यायिक प्रक्रिया में देरी अर्थात् लंबित मुकदमों की भारी संख्या न्यायपालिका की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
- ✚ पारदर्शिता और जवाबदेही अर्थात् न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यशैली, और आचरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- ✚ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात् सुधार करते समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण है।

प्रमुख चुनौतियाँ—

- ✚ कोलेजियम प्रणाली की सीमाएँ अर्थात् न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, जिसके कारण आलोचना होती है।
- ✚ न्यायिक भ्रष्टाचार के आरोप अर्थात् भ्रष्टाचार और अनुचित आचरण के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की कमी।
- ✚ कानून और संसाधनों की कमी अर्थात् न्यायिक सुधारों के लिए आवश्यक कानूनी फ्रेमवर्क और संसाधनों का अभाव।
- ✚ राजनीतिक हस्तक्षेप अर्थात् न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बनने वाला राजनीतिक दबाव।
- ✚ जनसामान्य की समझ और विश्वास अर्थात् न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखना और बढ़ाना।

सुधार के लिए संभावनाएँ और उपाय—

- ✚ न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में सुधार अर्थात् कोलेजियम प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सुधार, साथ ही न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे वैकल्पिक तंत्रों का विचार।

- ✚ आधुनिक तकनीक का उपयोग अर्थात ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल पंजीकरण, और ऑनलाइन मुकदमा प्रबंधन से प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता लाना।
- ✚ न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण अर्थात न्यायाधीशों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और आचरण सुधार कार्यक्रम।
- ✚ लोकपाल और निगरानी तंत्र अर्थात न्यायाधीशों के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र का गठन, ताकि उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो।
- ✚ सार्वजनिक सहभागिता और जागरूकता अर्थात न्यायपालिका के कार्यप्रणाली और अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करना।
- ✚ अधिकारिता बढ़ाना अर्थात न्यायपालिका की प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना ताकि स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित हों।

न्यायिक सुधार में पिछले प्रयास—

- ✚ न्यायिक जवाबदेही विधेयक (2010), यह विधेयक न्यायाधीशों के आचरण पर नियंत्रण के लिए प्रस्तुत किया गया, परन्तु पारित नहीं हो सका।
- ✚ उच्चतम न्यायालय के आंतरिक आचार संहिता, न्यायाधीशों के आचरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- ✚ ई-कोर्ट परियोजना, न्यायिक प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण के माध्यम से सुधारने का प्रयास।

सुधारों के कार्यान्वयन में बाधाएँ—

- ✚ सांसदों और न्यायपालिका के बीच मतभेद, सुधारों पर सहमति का अभाव।
- ✚ न्यायपालिका की स्वायत्तता पर चिंताएं, कुछ सुधारों को स्वतंत्रता पर खतरा माना जाता है।
- ✚ अभिनेता और हितधारकों की भूमिका, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी।

न्यायिक सुधार भारत में न्यायपालिका की मजबूती और लोकतंत्र की गारंटी के लिए आवश्यक हैं। चुनौतियों के बावजूद, सुधारों की दिशा में प्रयास जारी रखने होंगे ताकि स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन कायम रखा जा सके। यह संतुलन न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और न्याय के प्रति जनता के विश्वास को सुदृढ़ करेगा।

अनुशंसाएं (Recommendations)-

- ✚ न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता— कोलेजियम प्रणाली में सुधार कर, न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
- ✚ न्यायिक जवाबदेही तंत्र का सृजन— न्यायाधीशों के आचरण और फैसलों के लिए स्वतंत्र निगरानी संस्थान बनाए जाएं, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें।
- ✚ तकनीकी सुधारों को बढ़ावा— ई-कोर्ट परियोजना को पूरी तरह प्रभावी बनाया जाए जिससे मुकदमे जल्दी और पारदर्शी तरीके से निपट सकें।

- ✚ न्यायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण— न्यायाधीशों के लिए नियमित नैतिकता, संवैधानिक अधिकारों एवं न्यायिक प्रक्रिया पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- ✚ जनसामान्य के बीच जागरूकता— न्यायपालिका के कार्य और अधिकारों के विषय में जनता को जागरूक करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाए जाएं।
- ✚ स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का संतुलन— संविधान के दायरे में रहते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए जवाबदेही को प्रभावी बनाया जाए।
- ✚ अधिकारिता और संसाधन उपलब्ध कराना— न्यायपालिका को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष — इस शोधपत्र के माध्यम से हमने भारत में 1947 से 2020 तक न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच के संबंध, उनकी चुनौतियाँ और समाधान पर गहन विचार किया है। इस अंतिम अध्याय में हम संक्षेप में शोध के मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे तथा न्यायपालिका के सशक्तिकरण हेतु सुझाव देंगे। न्यायिक स्वतंत्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय ले सके। न्यायिक उत्तरदायित्व न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता का पर्याय है, जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जनसाधारण के विश्वास को बनाए रखने में सहायक है। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जहां अत्यधिक स्वतंत्रता उत्तरदायित्व को कमजोर कर सकती है, जबकि कठोर उत्तरदायित्व न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम प्रणाली ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखी है, किन्तु पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी ने सुधार की आवश्यकता पैदा की है। न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता, लंबित मुकदमे, संसाधनों की कमी, और राजनीतिक दबाव न्यायिक सुधारों में बाधक हैं। डिजिटलाइजेशन, ई-कोर्ट प्रणाली, न्यायिक शिक्षा, और निगरानी तंत्र न्यायपालिका की प्रभावशीलता और जवाबदेही बढ़ा सकते हैं।

सुझाव— न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, कोलेजियम प्रणाली में सुधार कर एक संतुलित और जवाबदेह नियुक्ति तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। न्यायिक जवाबदेही के लिए प्रभावी तंत्र अर्थात् न्यायाधीशों के आचरण के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष निगरानी संस्थान स्थापित किए जाएं। तकनीकी सुधारों को बढ़ावा देना अर्थात् न्यायिक प्रक्रिया में ई-कोर्टिंग और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से मुकदमों की तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करें। न्यायपालिका की संसाधन पूर्ति अर्थात् न्यायिक संस्थाओं को पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय और तकनीकी संसाधन प्रदान किए जाएं। न्यायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अर्थात् न्यायाधीशों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उनकी क्षमता और नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। जनसामान्य की जागरूकता अर्थात् न्यायपालिका के कार्य, अधिकार, और कर्तव्यों के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि न्यायपालिका के प्रति विश्वास बना रहे। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व में संतुलन अर्थात् संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण करते हुए उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया जाए।

भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का संतुलन स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है। लोकतंत्र की मजबूती और न्यायपालिका की गरिमा के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तत्वों को समुचित महत्व दिया जाए। सुधारों के माध्यम से न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और स्वतंत्र बनाया जा

सकता है। अंततः, न्यायपालिका का उद्देश्य ही न्याय की उपलब्धि और संविधान की रक्षा है, जिसके लिए स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व दोनों अनिवार्य हैं।

सन्दर्भ सूची—

1. भारतीय संविधान, 1950 | भारत सरकार, भारत।
2. Austin] Granville- The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation- Oxford University Press] 1966-
3. Jain, M-P- Indian Constitutional Law- LexisNexis, 2017-
4. Seervai, H-M- Constitutional Law of India- Universal Law Publishing, 2015-
5. Basu, Durga Das- Introduction to the Constitution of India- LexisNexis, 2019-
6. Supreme Court of India Judgments:
7. Kesavananda Bharati v- State of Kerala] AIR 1973 SC 1461
8. S-P- Gupta v- Union of India, AIR 1982 SC 149
9. Supreme Court Advocates on Record Association v- Union of India, 2016, 5 SCC 1
10. Bhargava, Rajeev- Politics and Ethics of the Indian Constitution- Oxford University Press, 2008-
11. Gopalakrishnan, P- "Judicial Accountability in India: Challenges and Prospects-" Indian Journal of Public Administration, vol- 60, no- 2, 2014, pp- 305-320-
12. Ramachandran. S- Judicial Independence and Accountability in India- Routledge, 2016-
13. National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act, 2014 (Struck down by Supreme Court)-
14. e-Courts Project, Ministry of Law and Justice, Government of India- <https://ecourts.gov.in>
15. Verma, S-K- "Judicial Reforms in India: Issues and Challenges-" Journal of the Indian Law Institute, vol- 58] 016] pp- 55-72-
16. Singh] M-P-, and Roy, N- Indian Politics and Constitutionalism- PHI Learning, 2019-
17. Annual Reports, National Judicial Academy] India-
18. Thomas] P- "Balancing Judicial Independence and Accountability-" Law and Society Review vol- 52, no- 3, 2018, pp- 463-489-
19. Kothari, Rajni- Politics in India- Orient Longman, 1970-
20. Reports of the Law Commission of India:
21. 117th Report on Judicial Accountability (1988)
22. 244th Report on Reforming the Judicial Appointments Process (2014)
23. The Hindu and The Indian Express editorials and reports on judicial- reforms -various dates